

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला:-ए.सी.बी. चौकी कोटा देहात थाना... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर  
प्र0सू0रि0संख्या ..... 159/2022 दिनांक..... 02/5/2022
2. (1) अधिनियम-ब्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 धारा-7,7ए  
(2) अधिनियम- भारतीय दण्ड संहिता ..... धारा - 120बी भा.द.स.  
(3) अधिनियम..... धारायें - .....  
(4) अन्य अधिनियम धारायें.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... समय.....  
(ब) अपराध घटने का दिन ... शनिवार दिनांक...30.04.2022 ...समय 08.20 पी.एम.  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक... 28.04.2022 समय 04.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक - हस्तलिखित रिपोर्ट
5. घटना स्थल:- सेक्टर ए श्रीनाथपुरम् आरोपी अतुल शुक्ला के किराये के फ्लेट(विवान्ता अपार्टमेन्ट) के सामने स्थित अग्निशमन केन्द्र व अहिंसा सर्किल आम रोड, कोटा  
(अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- बजानिब दक्षिण व 04 कि.मी.  
(ब) पता:- श्रीनाथपुरम् सेक्टर ए कोटा।  
जरायम देही संख्या.....  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो  
पुलिस थाना -
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-  
(अ) नाम:- श्री गोपालराय  
(ब)पिता का नाम - श्री गुलाबचंद राय  
(स) जन्म तिथी/वर्ष 42 वर्ष  
(द) राष्ट्रीयता.- भारतीय  
(य) पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथी.....  
जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय-व्यवसाय-ठेकेदार  
(ल) पता - सी-22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6-ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-

1. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता - स्ट्रीट न0-64, क्वाटर न0 25-ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा
2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी कं-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण:-..... शून्य..
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....87000/- रूपये.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगाये) :-

श्रीमान प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि दिनांक 28.04.2022 समय:- 04:00 पी.एम.पर परिवादी श्री गोपाल राय पुत्र श्री गुलाब चंद राय जाति भू-ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी सी-22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) हाल 6-ए 10, विधायक कॉलोनी, रंगबाडी कोटा मोबाईल नं. 9198324666ने उपस्थित कार्यालय होकर एक स्वयं द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष इस आशय का पेश किया कि "मैं गोपाल राय पुत्र श्री गुलाब चंद राय जाति भू-ब्राहमण उम्र 42 साल निवासी सी-22, कमला नेहरु नगर, कल्याणपुर, लखनऊ (उ.प्र.) का निवासी हूं तथा पिछले करीब एक वर्ष से कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व धरेलू गैस कनेक्शन करने की ठेकेदारी का कार्य कर रहा हूं। मेरी फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्व विचित्रा कन्ट्रक्शन प्रा.लि. फर्म द्वारा उक्त कार्य कोटा में करने के लिए सबलेट किया गया था। उसी प्रकार का कार्य एक और फर्म श्रीराम इंजीनियरिंग एवं कन्ट्रक्शन द्वारा भी मेरी फर्म को करीब एक

OM

वर्ष पूर्व सबलेट किया गया था। फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन व श्रीराम इन्जीनियरिंग एवं कान्ट्रेक्टर से मेरा इन कार्यों को करने के सम्बंध में एग्रमेंट किए हुए हैं जो संलग्न कर रहा हूं। उक्त दोनो कार्यों को मेरी फर्म द्वारा पिछले एक वर्ष से किया जा रहा है। श्री अतुल शुक्ला (प्रोजेक्ट मैनेजर राजस्थान स्टेट गैस लि.) कोटा मेरी बिल पास करने के एवज में कमीशन मांगता है व पास किए हुए बिलों का कमीशन लेने के बाद ही अगले बिल पास करता है। उक्त अतुल शुक्ला द्वारा फर्म श्री राम इन्जीनियरिंग एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल RA-2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल RA-6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 27.04.2022 को पास किए गए हैं। बिल सं. श्रीराम इन्जीनियरिंग RA-2 की राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. RA-6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये की मांग की जा रही है। यह कमीशन राशि देने पर ही श्री अतुल शुक्ला द्वारा अगले बिल पास करने को कहा जा रहा है। इससे पूर्व किए कार्यों के बिल की भी श्री अतुल शुक्ला द्वारा बड़ी राशि करीब 42,00,000 रुपये दोनो फर्मों के होल्ड (रोक) कर रखे हैं, जो कि रिलीज नहीं कर रहा है। उक्त 42 लाख रुपये की राशि रिलीज करने के भी श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरी कम्पनी में नियुक्त कराए गए श्री विष्णु सैनी के जर्च 1,00,000 (एक लाख रुपये) की रिश्वत मांगी जा रही है। श्री विष्णु सैनी उनका दलाली का कार्य करता है। दो दिन पूर्व मैं इनसे मिला भी था। श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरे का विष्णु सैनी के साथ उक्त कमीशन राशि व होल्ड राशि रिलीज करने में रिश्वत की बातचीत हेतु आज शाम को अपने किराए के घर के पास अंहिसा सर्किल, कोटा पर बुलाया है। मैं श्री अतुल शुक्ला (प्रोजेक्ट मैनेजर, R.S.G.L.) को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं बल्कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। इससे मेरी कोई रंजिश नहीं है और ना ही कोई उधार का लेनदेन बकाया है। रिश्वत मांगने में कार्यवाही करावें जिससे मेरी फर्म के बिल पास होने में व रोकी हुई धनराशि को रिलीज कराने में कोई परेशानी नहीं हो इत्यादी। मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर साहब मेरे बिलों में कमी बताकर जानबूझकर बिलों का भुगतान रुकवा देते हैं तथा भुगतानशुदा बिलो का कमीशन लेने के बाद ही अगले बिलों का भुगतान करवाते हैं तथा उनके दलाल श्री विष्णु सैनी के जर्च मुझसे रिश्वत की मांग करते है। मैं करीब 02 दिन पहले श्री अतुल कुमार शुक्ला जी के दलाल श्री विष्णु सैनी जी से मिला था तो दलाल श्री विष्णु सैनी जी ने मुझसे कहा था कि फर्म श्रीराम इन्जीनियर एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल RA-2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल RA-6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 24.04.2022 को पास किए है। बिल सं. RA-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. RA-6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये श्री अतुल जी प्रोजेक्ट मैनेजर उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 36,750 रुपये की कमीशन मांग रहे हैं जिन्होंने आपको इस सम्बंध में बात करने के लिए बुलाया है इस पर मैं 2 दिन पहले आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के साथ अंहिसा सर्किल पर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला से मिला तो इन्होंने मुझसे बिलो को पास करने की एवज में 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई थी तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00,000 रुपयो को जारी करने तथा आने वाले बिलो की राशि को होल्ड नहीं करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा था, वह मेरे से 1,37,000 रुपये रिश्वत लेने के बाद ही मुझे काम करने देंगे। चूंकि इस समय डा. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा देहात उपस्थित कार्यालय नहीं है, परिवादी रिश्वत मांग की वार्ता आज ही होना बता रहा है। प्रार्थना पत्र व दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या रिश्वत की मांग का होना पाया गया है। मामला रिश्वत की मांग का होने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। समय 05.50 पी.एम. पर श्री असलम खान हैड कानि. 124 को तलब कर परिवादी श्री गोपाल राय से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री गोपाल राय को आरोपी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, आर.एस.जी.एल. कोटा से अपने काम व रिश्वत राशि के बारे में वार्ता करने व वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने की हिदायत की। परिवादी ने बताया कि श्री अतुल शुक्ला द्वारा मेरे को विष्णु सैनी के साथ उक्त कमीशन राशि व होल्ड राशि रिलीज करने में रिश्वत की बातचीत हेतु आज शाम को अपने किराए के घर के पास अंहिसा सर्किल, कोटा पर बुलाया है, आरोपी अतुल शुक्ला मुझसे शाम के 07 बजे लगभग बात करेगा। अतः आप श्री असलम जी हैड साहब को शाम को महावीर नगर थाना चौराहे पर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर भेज दे तो मैं आरोपी तथा उसके दलाल से जाकर रिश्वत

M

के सम्बंध में वार्ता कर लूंगा। इस पर परिवादी गोपाल राय को मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय 06.50 पी.एम.पर मालखाने से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर श्री असलम खान हैड कानि. 124 को सुपुर्द कर, घटोतकच्च सर्किल पर पहुंच कर परिवादी गोपालराय से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया तथा श्री असलम हैड कानि. 124 को हिदायत दी की परिवादी व आरोपी के मध्य होनी वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को यथासंभव नजदीक रहकर छुपाव हासिल करते हुए देखने व सुनने का प्रयास करें। श्री असलम खान हैड कानि. 124 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु रवाना किया गया। समय 8.40 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय मय श्री असलम खान हैड कानि. 124 के कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने अपने पास से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर मौखिक बताया कि श्री असलम खान जी हैड साहब मुझे घटोतकच्च चौराहा महावीर नगर पर मिले गए थे जिन्होंने मुझे एक तरफ एकान्त में ले जाकर पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करना समझाया था हम वहां से रवाना होकर आरोपी दलाल के मिलने वाले संभावित स्थान राजीव गांधी नगर में चल रही हमारी साईट से थोड़ा पहले पहुंचे। मैंने असलम जी हैड साहब को थोड़ी दूर पर ही छोड़ दिया था और मैं राजीव गांधी नगर में चल रही हमारी साईट पर गया। मैंने जाने से पहले डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर लिया था। दलाल श्री विष्णु सैनी मुझे वहां नहीं मिलने पर मैंने उसे दूढ़ां तथा मिलने पर अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलने अंहिसा सर्किल गया था, जहां आरोपी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर ने बिल सं. आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये श्री अतुल जी प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00,000 रुपये को जारी करने तथा आने वाले बिलो की राशि को होल्ड नहीं करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा है। विष्णु कुमार दलाल मुझे बताएगा कि श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे होल्ड किए हुए 42,00,000 रुपयों को जारी करने के बदले में कितनी रिश्वती राशि प्राप्त करेगा। मैंने बातचीत के बाद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर लिया था। श्री असलम खान हैड कानि. ने परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी के बताये अनुसार आरोपी दलाल विष्णु सैनी उसे आरोपी अतुल शुक्ला से बात कर रिश्वती राशि के बारे में बताएगा। परिवादी श्री गोपाल राय को हिदायत की गई की आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि की मांग करने पर तुरंत मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराए तथा गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की गई। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 29.04.2022 समय 6.00 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने मन् पु.उ.अ. को बताया कि श्री विष्णु सैनी मुझसे मोबाईल पर भी रिश्वत सम्बन्धित बातचीत कर लेता है। समय 06.47 पी.एम.पर परिवादी गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 पर स्पीकर ऑन कर परिवादी व विष्णु सैनी के मध्य वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि मैं श्री अतुल शुक्ला से आज मिला तो था परंतु इस सम्बंध में कोई बात नहीं हो पाई, आप पास हुए बिलो की एवज में तो 37,000 रुपये तथा होल्ड राशि को रिलीज करने तथा आगामी बिलों की राशि को होल्ड नहीं करने की एवज में 1,00,000 रुपये रिश्वत के रुप में श्री अतुल शुक्ला जी प्राजेक्ट मैनेजर को देना चाहो तो दे तो बाकी मेरी बात होने पर मैं आपको कॉल करके बता दुंगा। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। चूंकि परिवादी व दलाल विष्णु सैनी के मध्य हुई रिश्वत मांग मोबाईल वार्ता में आरोपित दलाल ने आरोपित श्री अतुल कुमार शुक्ला से वार्ता नहीं होना बताया है एवं परिवादी ने भी निवेदन किया है कि जब भी दलाल विष्णु सैनी मुझे वार्ता करने के लिए बुलायेगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अतः परिवादी श्री गोपालराय को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूकसत किया गया

दिनांक 30.04.2022 समय 10.48 ए.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय ने वाट्सएप कॉल कर मन् उप अधीक्षक को अवगत करवाया कि श्री विष्णु सैनी दलाल ने 9.15 ए.एम. पर मुझे कॉल किया था तथा मुझसे कहा था कि मेरी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर साहब से बात हो गई है उन्होने कहा है कि अभी तो बिलो को पास करने की एवज में बन रहे कमीशन के तो पूरे 37,000



रुपये तथा तथा होल्ड राशि को रिलीज करने तथा आगामी बिलों की राशि को होल्ड नहीं करने की एवज में अभी 50,000 रुपये की मांग की है तो आप ऐसा करो आज शाम को श्री अतुल शुक्ला जी प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को देने के लिए 87,000 रुपये तैयार रखना मैं शाम को आपको इस सम्बंध में फोन करके बता दूंगा तथा हम दोनों के मध्य हुई वार्ता को मैंने मेरे मोबाईल में रिकार्ड कर लिया है। इस पर परिवादी श्री गोपाल राय को अविलम्ब मय रिश्वती राशि 87,000 रुपये लेकर कार्यालय उपस्थित आने व वार्ता को मोबाईल में सुरक्षित रखने की हिदायत की गई। ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से कार्यालय स्टाफ को अविलम्ब कार्यालय में उपस्थित आने बाबत जरिये दूरभाष सूचित किया गया। समय 12.30 पी.एम. पर श्री नरेश कुमार कानि0 144 को अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज कोटा के नाम तहरीर देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर कार्यालय में लेकर आने हेतु रवाना किया गया। समय 01.45 पी.एम पर परिवादी श्री गोपाल राय मय रिश्वती राशि 87,000 रुपये उपस्थित कार्यालय आया। समय 01.50 पी.एम. पर श्री नरेश कुमार कानि0 144 अधीक्षक, नवीन चिकित्सालय, मेडीकल कॉलेज कोटा का पत्रांक 157-61 दिनांक 30.04.2022 के मय दो स्वतंत्र गवाहान श्री दीपेन्द्र गौतम तथा, कनिष्ठ सहायक व श्रीमति संजू सिंघल, कनिष्ठ सहायक के कार्यालय में उपस्थित आया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित दोनों गवाहान को स्वयं का परिचय देकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराया। दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री गोपाल राय से करवाया। दोनों गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह बनने की मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दोनों गवाहान से पढवाकर हस्ताक्षर करवाये गये। श्री असलम खान हैड कानि. 124 द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.04.2022 व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता दिनांक 29.04.2022 को कार्यालय के लैपटॉप में लिवाया जाकर स्पीकर चालू कर परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया गया। परिवादी ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की आरोपी दलाल विष्णु सैनीव आरोपी अतुल कुमार शुक्ला की आवाज की पहचान की। रूबरू गवाहान व परिवादी की उपस्थिति में रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता-प्रथम की पृथक पृथक फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री असलम खान हैड कानि. 124 से तैयार करवाई गई। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। चूंकि परिवादी व आरोपी दलाल के मध्य मोबाईल पर रिश्वत सम्बन्धित बातचीत हुई है जिसे परिवादी के मोबाईल में परिवादी ने स्वयं रिकार्ड किया था जिसे मन् पु.उ.अ. ने परिवादी के मोबाईल में चलाकर सुना। समय अभाव होने से फर्द तैयार किया जाना संभव नहीं है जिसे बाद में मोबाईल से लेपटोप में लिवाया जाकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जावेगी। समय 6.30 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री गोपाल राय ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रुपये के 174 नोट कुल 87,000 रुपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया। श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के द्वारा मालखाने से फिनोपिथलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोड़ा सा फिनोपिथलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनोपिथलीन पाउडर भली भांति लगवाया गया। गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम से परिवादी श्री गोपाल राय की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़ों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोपिथलीन पाउडर लगे नोटों में से श्री मुकेश कुमार कानि. 71 से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में फर्द पेशकशी नोट में अंकित नोट क्रम सं. 01 लगायत 74 कुल 37,000 रुपये तथा फर्द पेशकशी नोट में अंकित शेष क्रम सं. 75 लगायत 174 कुल 50,000 रुपये परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने वाली बांयी जेब में रखवाए गए। एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के फिनोपिथलीन पावडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोपिथलीन व सोडियम कार्बोनेट पावडर के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टान्त देकर सम्बन्धितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलावे और ना ही पावडर लगे नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से हाथ लगावे। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पावडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब से निकाल कर उसे देवे तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप पार्टी के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर मिसकॉल कर ईशारा करे। मन पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर परिवादी के मोबाईल में सेव करवाये गये। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोपिथलीन पाउडर की शीशी जरिये श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों पर पावडर लगाने में प्रयुक्त अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। गिलास एवं श्री मुकेश कुमार कानि. 71 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया जाकर गिलास को कार्यालय में ही छोड़ा गया। कार्यवाही में काम में आने वाले कांच की शीशियों मय ढक्कन, कांच

के गिलासों को पानी व साबुन से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि परिवादी के आसपास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने एवं वार्ता को सुनने का प्रयास करे। इसके पश्चात सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी को देकर उसे चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर परिवादी की पेंट की साईड की बायीं जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई कि आरोपी से होने वाली बातचीत को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करे। समय 07.14 पी.एम पर आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 से परिवादी श्री गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 पर कॉल आया स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि मैं श्री अतुल शुक्ला जी से बात करके 10 मिनट में आपको बताता हूँ कि आपको रिश्वती राशि लेकर कहां पर आना है। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 7.45 पी.एम पर आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मोबाईल नं. 8107800698 से परिवादी श्री गोपाल राय के मोबाईल नं. 9198324666 पर कॉल आया स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई तो आरोपी दलाल ने रिश्वती राशि के सम्बंध में कहा कि आप रिश्वती राशि लेकर श्री अतुल शुक्ला जी के किराए के फ्लैट के पास आ जाओ। उक्त मोबाईल वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 08.00 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल राय को उसकी प्राईवेट कार से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू करवाकर आरोपी श्री अतुल शुक्ला के सेक्टर ए, श्रीनाथपुर स्थित किराए के फ्लैट के पास हेतु रवाना किया। उनके पीछे-पीछे श्री असलम खान हैड कानि. 124 तथा नरेश कानि. 144 को सरकारी मोटर साईकिल से रवाना किया, श्री गिराज कानि. व श्री दीपेन्द्र गौतम स्वतंत्र गवाहान को सरकारी वाहन से मय चालक श्री विशेष कुमार 585 को अपने पीछे आने की हिदायत कर सरकारी मोटर साईकिल से रवानाशुदा श्री असलम खान हैड कानि. तथा नरेश कानि. 144 के पीछे-पीछे स्वयं मय श्री वासुदेव पु.नि. तथा श्रीमति मंजू महिला कानि. तथा स्वतंत्र गवाह श्रीमति संजू सिंघल कनिष्ठ सहायक स्वतंत्र गवाह स्वयं की प्राईवेट कार से मय लैपटॉप प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 08.10 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व एसीबी जाब्ता आरोपी श्री अतुल शुक्ला के सेक्टर-ए, स्थित किराये के आवास (विवान्ता अपार्टमेन्ट) के सामने अग्निशमन केन्द्र से अहिंस सर्फिल आम रोड पर पहुंचे। परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु जाने बाबत ईशारा कर रवाना किया। श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक व जाब्ता व दोनों स्वतंत्र गवाहान को आरोपी के फ्लैट के परिसर के पास बनी चाय की दुकान पर दीवार की ओट में उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के ईशारे का इंतजार करने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी से दूरी बनाते हुये आरोपी के फ्लैट स्थित परिसर के सामने स्थित मेडिकल की दुकान पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए खडा होकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगा।

समय 08.20 पी.एम. पर परिवादी श्री गोपाल राय ने सेक्टर ए श्रीनाथपुरम में अग्निशमन रोड पर खडी अपनी कार के पास से अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने का पूर्व निर्धारित इशारा किया। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों गवाहान मय ट्रेप टीम के सदस्यों के परिवादी श्री गोपाल राय के पास पहुंचा, परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया यह व्यक्ति जिसने नीले रंग की पेंट तथा सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है, की ओर ईशारा कर बताया कि यह व्यक्ति ही श्री अतुल कुमार शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर है, जिसने अभी-अभी मुझसे मेरी फर्म द्वारा गैस पाईप लाईन डालने, गैस कनेक्शन के किये गये कार्यों के बिल पास करने पर कमीशन राशि तथा होल्ड (रोकी) की गई राशि को रिलीज करने की एवज में 87,000 रु रिश्वत राशि प्राप्त कर, अपनी पहनी हुई नीली पेंट की दाहिनी जेब में रखे है तथा इसकी बगल में खडा दूसरा व्यक्ति जिसने नीले कलर की जींस तथा सलेटी कलर की टी-शर्ट पहन रखी है यह व्यक्ति आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला का दलाल विष्णु सैनी है। परिवादी के बताये हुये दोनो व्यक्तियों को जाप्ते की मदद से डिटेन किया। मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी द्वारा बताए गए व्यक्तियों को तसल्ली देते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के उद्देश्य से अवगत कराया एवं नाम-पते पूछे तो उनमें से सफेदे शर्ट पहने व्यक्ति ने अपना नाम अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता - स्ट्रीट न0-64, क्वाटर न0 25-ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा होना बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा होना बताया। चूंकि उक्त स्थल आम सडक है जहां लोगो व वाहनों का आवागमन है तथा भीडभाड होने से व्यवधान हो रहा है, नाही बैठकर लिखित कार्य करने का उचित स्थान है।

*M*

अतः नजदीकी राजकीय कार्यालय नवीन चिकित्सा महाविधायल के परिसर, रंगबाडी रोड कोटा मे अग्रिम कार्यवाही करने हेतु आरोपी श्री अतुल शुक्ला का दाहिना हाथ कलाई के उपर से श्री असलम हैड कानि० व बायां हाथ कलाई के उपर से श्री गिराज कानि० से पकडवाया जाकर इसी स्थिति मे रखने व लेजाने तथा दोनो हाथ कहीं भी नही छूने देने की हिदायत कर तथा श्री विष्णु सैनी को श्री नरेश कानि० से पकडवाया जाकर सरकारी वाहन जीप मे बैठाकर श्री वासूदेव पुलिस निरीक्षक के साथ विशेष कुमार कानि० ड्राइवर को समय 08.35 पी.एम. पर रवाना नवीन चिकित्सा महाविधायल परिसर किया गया, पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक मय कानि० मंजू व दोनो स्वतंत्र गवाहान मय प्राइवेट वाहन मोटर साईकिल के रवाना होकर समय 08.45 पी.एम. पर नवीन चिकित्सा महाविधायल कोटा पहुंचे जहां श्रीमान अधीक्षक नवीन चिकित्सा महाविधायल से जर्ने मोबाईल वार्ता कर एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु कहा गया, जिस पर वेतन शाखा कार्यालय उपलब्ध कराया गया, जिसमे श्री वासूदेव पुलिस निरीक्षक के साथ जाप्ता व दोनो आरोपीगण को जैसी स्थिति मे पकडकर लेजाने के निर्देश दिये गये थे, उसी स्थिति मे रखे जाकर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर से परिवादी गोपाल राय से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने गोपाल राय से कोई रिश्वत राशि नही ली है, इसने जबरदस्ती मुझे रुपये दिए हैं, जो मैने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में ही रखे हैं, मैं इन रुपयों को नही लेना चाहता था। आरोपी विष्णु सैनी दलाल से आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला को रिश्वती राशि लेने में सहयोग करने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैने श्री अतुल कुमार शुक्ला सर को कोई रिश्वती राशि लेने में सहयोग नही किया है, मैं तो जे.डी.ए. सर्किल पर ट्रेच बंद होने के कारण श्री अतुल कुमार सर के पास आया था मैने इस सम्बंध में सर से बात भी की है। इस पर स्वतन्त्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम से श्री अतुल शुक्ला की पहनी हुई नीली पेंट की दाहिनी सामने वाली जेब से रिश्वती राशि को निकलवाकर गिनवाया गया तो स्वतंत्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम ने नोटों को गिनकर 500-500 के 174 नोट कुल 87,000 रुपये होना बताया। इस पर उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से फर्द पेशकशी नोट सुपुर्द कर मिलान करवाया गया तो स्वतन्त्र गवाहान ने उक्त नोटो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से कर हुबहू वही नोट होना बताया, जो परिवादी ने फर्द पेशकशी के वक्त कार्यालय में पेश किये थे। उक्त नोटों को स्वतन्त्र गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला को एक कुर्सी पर बैठाया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः तसल्ली देकर पूछा गया कि आपने कुछ देर पहले परिवादी श्री गोपाल राय से 87,000रु किस काम की एवज में लिये है, तो आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला ने बताया कि गोपाल राय जी की फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्व से विचित्रा कन्ट्रक्शन प्रा लि फर्म एवं श्रीराम इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रेक्टर द्वारा कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व घरेलू कनेक्शन करने का काम दिया गया था, मैं राजस्थान स्टेट गैस लि. में प्रोजेक्ट मैनेजर पद पर कोटा में पदस्थापित हूँ इसलिए मैं इनको जानता हूँ। मैने गोपाल राय से कोई रिश्वत प्राप्त नही की है, इन्होने तो मुझे जबरदस्ती रुपये दिए हैं, जो मैने बार-बार इनके आग्रह करने पर लिए हैं।

इस पर पास खडे परिवादी ने आरोपी अतुल कुमार शुक्ला की बात का खण्डन करते हुये कहा कि श्री अतुल कुमार शुक्ला जी झूठ बोल रहे हैं, मैं करीब 02 दिन पहले श्री अतुल कुमार शुक्ला जी के दलाल श्री विष्णु सैनी जी से मिला था तो दलाल श्री विष्णु सैनी जी ने मुझसे कहा था कि फर्म श्रीराम इंजीनियर एण्ड कन्ट्रक्शन का बिल आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये दिनांक 30.03.2022 को तथा फर्म विचित्रा कन्ट्रक्शन का बिल आर.ए.-6 राशि 47,55,429 रुपये दिनांक 24.04.2022 को पास किए है। बिल सं. आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन 20,150 रुपये हुआ है। श्री अतुल जी प्रोजेक्ट मैनेजर उक्त बिलो को पास करने की एवज में कुल 36,750 रुपये की कमीशन मांग रहे हैं, जिन्होने आपको इस सम्बंध में बात करने के लिए बुलाया है। इस पर मैं 02 दिन पहले आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के साथ अहिंसा सर्किल पर आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला से मिला तो इन्हाने मुझसे आगे आने वाले बिलो को पास करने की एवज में 35,000 रुपये रिश्वती राशि लेने की सहमति जताई थी तथा मेरे होल्ड किए हुए 42,00,000 रुपयो को जारी करने तथा आने वाले बिलो की राशि को होल्ड नही करने के सम्बंध में रिश्वती राशि के सम्बंध में दलाल श्री विष्णु सैनी से बात करने के लिए कहा था, जिसकी शिकायत मैने आपके कार्यालय में की थी। पहले तो दलाल श्री विष्णु सैनी ने मुझसे होल्ड राशि को जारी करने की एवज में श्री अतुल कुमार शुक्ला को एक लाख रुपये बतौर रिश्वत देने हेतु कहा था, परंतु बाद में दलाल विष्णु ने मुझसे कहा था कि अभी तो श्री अतुल कुमार जी को दोनो बिलों के कमीशन के तो राउंड फीगर में 37,000 रुपये तथा होल्ड राशि को जारी करने की एवज में अभी 50,000 रुपये, कुल 87,000 रुपये श्री अतुल कुमार शुक्ला जी को दे दो, इस पर मैने आज इनको 87,000 रु रिश्वत राशि दी है। इन्होने आज मेरी कार बलैनो में बैठकर श्री विष्णु सैनी दलाल की उपस्थित में मुझसे 87,000 रु प्राप्त कर दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी सामने वाली जेब में रखे हैं। मैने इनको कहा था कि विष्णु जी ने हमको 37,000 का कहा था। बिल सं. आर.ए.-2, राशि 24,60,161 रुपये का 0.

CM

75 प्रतिशत कमीशन 16,600 रुपये तथा बिल सं. आर.ए. 6 की राशि 47,55,429 रुपये का 0.50 प्रतिशत कमीशन बीस हजार एक सौ कुछ रुपये हैं मैंने पहले इनको 37,000 तथा उसके बाद मैंने उनको कहा कि ये विष्णु जी ने बिल होल्ड रिलीज के 50,000 देने है जो ये है तो इन्होंने कुल 87,000 रुपये रिश्वती राशि लेकर कहा था ठीक है। उसके बाद ही मैंने आपको ईशारा कर दिया था। आरोपी की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वत राशि जिसे गवाह श्री दीपेन्द्र गौतम के पास सुरक्षित रखवाया गया था, उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया एवं बरामद रिश्वत राशि 500-500 रुपये के 174 नोट कुल 87,000रु के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। बरामद रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3TE206387
2	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1NH027374
3	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9AE273881
4	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2BR747027
5	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8CB841776
6	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4FW035567
7	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7GG514288
8	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8DV037813
9	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6AK813613
10	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5UW724557
11	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6VM542667
12	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0TH843706
13	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1GS935216
14	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2CG488590
15	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3HK817572
16	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1HR730046
17	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1HR730047
18	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5TN467218
19	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6FV590754
20	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9HF204650
21	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7DE726926
22	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7GA597039
23	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2VH067570
24	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3ES045191
25	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8EQ681726
26	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5EU218343
27	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8AW765685
28	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6TE329803
29	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4FM271382
30	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7CN193623
31	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9AE106950
32	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7RG075269
33	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6AB476227
34	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9AF453400
35	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0PU421923
36	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4CB431768
37	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0HN812624
38	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2HE823263
39	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6BT333394
40	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3CB995090
41	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1US196378
42	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9TU977459
43	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1KS734058
44	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0TK515107
45	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1KG870739

*M*

46	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0WC347429
47	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UD491070
48	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1CV544297
49	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0EU528302
50	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8EE227622
51	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5BS970657
52	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4EP560637
53	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EN951534
54	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3UK909492
55	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6RL878204
56	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CU901913
57	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9DA913380
58	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EW666429
59	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8UE300361
60	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2MP860084
61	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5BH598758
62	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AE293543
63	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4BH715793
64	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EC847233
65	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1CS919579
66	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6AB540635
67	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1TN013820
68	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5PG362119
69	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4MA120797
70	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9HL236723
71	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6KQ248363
72	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9UC080875
73	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8KB395933
74	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2CV049224
75	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0DE078933
76	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CB959353
77	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0FN540263
78	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7RC752594
79	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9KN167605
80	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EE400450
81	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9FG271780
82	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9QC936511
83	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5MT829225
84	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4NL233918
85	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5EN262947
86	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0BH133356
87	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8PU946036
88	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DN200209
89	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3DE716566
90	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4DQ791587
91	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0MF961065
92	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7EQ967222
93	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CM209989
94	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5FA644353
95	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6EW578248
96	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1QK864118
97	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3EW526819
98	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2DS362127
99	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1UB834197

*CM*



100	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8RQ296049
101	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5AS369229
102	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6MA202662
103	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9VV017094
104	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3NU265168
105	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9KG082472
106	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6DA560416
107	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4DN837884
108	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6DA469479
109	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4ET766369
110	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7BT368360
111	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0KU655794
112	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9AU390263
113	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3SB179856
114	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4QC861013
115	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2MP635496
116	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0FM195203
117	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1WP613457
118	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4KL062402
119	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2BR682261
120	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7DC948899
121	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9UK953410
122	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3SM523002
123	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1HM894674
124	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2ED747402
125	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4BP208737
126	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2MS113473
127	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1BE072371
128	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6WB950545
129	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8LD769364
130	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3UH651657
131	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9EC581614
132	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7TH329908
133	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2MD596525
134	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	3CU924176
135	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8FR566922
136	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7BM813663
137	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8HE542808
138	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6RM457981
139	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8AW691562
140	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	6BC059995
141	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7KF878017
142	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1AQ886667
143	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	9VD921930
144	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7QQ341397
145	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5KA434832
146	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	4CG895984
147	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	2BF832415
148	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	7PQ842538
149	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	8FW918495
150	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5CV579050
151	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	0TR180011
152	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	5EU303791
153	एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी	1WP533693

154	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4CC433598
155	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6CM060175
156	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2QK165676
157	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1AR271949
158	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8MM910620
159	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3HU054406
160	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4FD619994
161	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6DQ134232
162	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CL031868
163	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0RP304154
164	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5HR343075
165	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2BN126615
166	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1DQ297154
167	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4VD169588
168	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1BF606148
169	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8CV672952
170	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7TQ822493
171	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9EN914508
172	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6GB790977
173	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3CU986203
174	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2UG160052

उक्त रिश्वत राशि को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखवाकर लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला की हाथ धुलाई की कार्यवाही की जानी है। अतः दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष नवीन चिकित्सा महाविधालय परिसर कोटा से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया तथा दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया, जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। तत्पश्चात् एक साफ कांच का गिलास लेकर उसमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, आरोपी की पहनी हुई नीली पेंट को उतरवाकर उसकी सामने की दाहिनी जेब को बाहर निकलवाकर उक्त गिलास के घोल में डुबो कर धुलवाया तो बर्तन के घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सील चिट मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गए। आरोपी की पहनी हुई नीली पेंट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर किया जाकर पैकेट मार्क P दिया गया।

रिश्वत मांग सत्यापन, वक्त लेन-देन रिश्वत वार्ता एवं मोबाईल वार्ताएँ परिवादी को दिये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिसको परिवादी व रुबरू गवाहान, आरोपी के सामने डीवीआर चालू कर सुना गया तो उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ताएँ एवं वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता में परिवादी के कथनों की ताईद होती है। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लिमि.कोटा व दलाल श्री विष्णु सैनी को उनकी आवाज का नमूना देने बाबत् पृथक-पृथक नोटिस दिया जाकर जवाब प्राप्त किया गया तो दोनों आरोपीगण ने नोटिस पर स्वयं के हस्तलेख से नोटिस नमूना आवाज पर लिखकर दिया की "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ"। नोटिस नमूना आवाज जवाब को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम व पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.) हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा व श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अतुल कुमार की जामा तलाशी में मिले मोबाईल ओप्यो F19 कम्पनी जिसमे दो सिम कार्ड नम्बर 8790005750

*CM*

एयरटेल एवं 9721751814 वोडाफोन/आईडिया (वीआई) व विष्णु सैनी की जामा तलाशी में मिले मोबाईल रेडमी कम्पनी का मॉडल Y2 (स्क्रीन टूटी हुई) जिसमें दो सिम कार्ड नम्बर 8107800698 एयरटेल एवं 9694069980 आईडिया को रिश्वत लेनदेन में प्रयुक्त करने से कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना दोनों के बताये अनुसार दी गई।

इसके बाद परिवारी श्री गोपाल राय व दलाल श्री विष्णु सैनी के मध्य दिनांक 29.04.2022 को परिवारी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णु सैनी के मो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई द्वितीय वार्ता, श्री गोपाल राय व आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को परिवारी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णु सैनी के मो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई तृतीय वार्ता, परिवारी श्री गोपाल राय व आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को परिवारी के मोबाईल नं. 9198324666 से आरोपी विष्णु सैनी के मो. नं. 8107800698 पर रिश्वत मांग के संबंध में हुई चतुर्थ वार्ता, परिवारी श्री गोपाल राय व आरोपी श्री अतुल शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि., कोटा एवं आरोपी दलाल विष्णु सैनी के मध्य दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत लेन-देन के संबंध में हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट क्रमशः मोबाईल वार्ता द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व रिश्वत लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कार्यालय के लेपटोप से श्री असलम हैड कानि. 124 से तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वार्ताओं में आवाज की पहचान परिवारी श्री गोपालराय द्वारा की गई। परिवारी श्री गोपाल राय एवं आरोपी दलाल विष्णु सैनी तथा आरोपी अतुल कुमार शुक्ला के मध्य दिनांक 28.04.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 29.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता- प्रथम, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता - द्वितीय, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता - तृतीय, दिनांक 30.04.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता - चतुर्थ तथा रिश्वत मांग लेन-देन वार्ता दिनांक 30.04.2022 जो कार्यालय के लेपटोप में सेव थी की पांच सी.डी. कार्यालय के लेपटोप से श्री असलम हैड कानि. द्वारा तैयार करवाई गई। एक सी.डी. वजह सबूत न्यायालय के लिए एवं दो सी.डी. आरोपीगण के लिए एवं एक सी.डी. एफ.एस.एल. से नमूना आवाज मिलान के लिए अलग-अलग कपडे की थैली में रखी जाकर सील मोहर की गई एवं कपडे की थैली पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सी.डी. अनुसंधान अधिकारी के लिए अनशील्ड ही रखी गई। फर्द डबिंग पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.40 ए.एम. पर नवीन चिकीत्सालय महाविद्यालय कोटा से मय टीम, स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपी एवं परिवारी जल्लशुदा आर्टिकल्स के रवाना होकर समय 06.00 ए.एम. पर घटना स्थल पहुंच कर घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। परिवारी को घटना स्थल से सकुशल रूकसत किया गया। घटना स्थल से रवाना होकर मय टीम व गिरफ्तारशुदा दोनों आरोपी व जल्ल आर्टिकल्स के थाना दादाबाडी पहुंचा। दोनों आरोपीगण को सुरक्षा की दृष्टि से थाना दादाबाडी की हवालात में जमा करवाया गया। थाना दादाबाडी से रवाना होकर समय 06.50 ए.एम. पर कार्यालय अ.नि.ब्यूरो कोटा देहात पहुंचा। कार्यवाही के दौरान बरामदशुदा रिश्वत राशि का लिफाफा, आरोपी अतुल कुमार शुक्ला के हाथों व पेन्ट के धोवन की 06 शीशियां मार्क LH-1, LH-2, RH-1, RH-2 व P-1, P-2, जल्लशुदा पैकेट मार्क "P" व शील्डशुदा सी.डीयां-04, एक अनशील्ड सी.डी व अन्य आर्टिकल्स जल्लशुदा मोबाईल को मालखाना प्रभारी श्री गिरिराज कानि. 387 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर जमा मालखाना करवाया। कार्यवाही पूर्ण होने से दोनों स्वतन्त्र गवाहान को सकुशल रूकसत किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवारी श्री गोपाल राय की फर्म OM KRRIN CON. को करीब एक वर्ष पूर्व से विचित्रा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. फर्म एवं श्रीराम इंजीनियरिंग एण्ड कान्ट्रैक्टर द्वारा कोटा में गैस पाईप लाईन डालने व घरेलू कनेक्शन करने का काम दिया गया था। श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि., कोटा परिवारी श्री गोपाल राय के पास किये गये बिलों के कमीशन के रूप में 37000 रुपये तथा होल्ड (रोक) गए करीब 42,00,000 रुपयों को रिलीज करने तथा आगे के बिलों की राशि होल्ड नही करने की एवज में आरोपी श्री विष्णु सैनी के मार्फत रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। दौरान सत्यापन आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला द्वारा दलाल विष्णु सैनी की उपस्थिति में परिवारी से उसके पासशुदा बिलों की कमीशन राशि 35000रु की रिश्वत प्राप्त करने हेतु सहमती दी गई, एवं होल्ड राशि 420000रु को रिलीज करने के लिए दलाल विष्णु सैनी से वार्ता करने बाबत कहा गया। दिनांक 29.04.2022 व दिनांक 30.04.2022 को दलाल विष्णु सैनी द्वारा परिवारी श्री गोपालराय से पासशुदा बिलों की कमीशन राशि 37000रु एवं होल्ड राशि 420000रु को रिलीज करवाने की एवज में 50000रु कुल 87000रु रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 30.04.2022 को दौरान ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री अतुल कुमार शुक्ला द्वारा परिवारी श्री गोपालराय से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दलाल विष्णु सैनी की मोबाईल वार्ताओं के क्रम में 87,000रु रिश्वत राशि प्राप्त करना, रिश्वत राशि आरोपी श्री अतुल

CM

कुमार शुक्ला द्वारा दाहिने हाथ में लेकर पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखना, रिश्वत राशि आरोपी अतुल शुक्ला की पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब से बरामद होना व आरोपी के दाएं हाथ का धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होना एवं पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होना एवं दलाल श्री विष्णु सैनी द्वारा आरोपित श्री अतुल कुमार शुक्ला के लिए रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत लेनदेन में सहयोग करना पाया गया है। इत्यादी सम्पूर्ण तथ्यों से श्री अतुल कुमार शुक्ला प्रोजेक्ट मैनेजर राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कोटा एवं दलाल विष्णु सैनी के द्वारा धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया कारित करना प्रमाणित पाया गया है।

अतः 01. श्री अतुल कुमार शुक्ला पुत्र श्री उमेश कुमार शुक्ला उम्र 33 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पोस्ट कनइल जिला गोरखपुर (उ.प्र.), दस्तावेजी पता -- स्ट्रीट न0-64, क्वार्टर न0 25-ए, पोस्ट व थाना चितरंजन, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल हाल निवास मकान न0 76 W, अभिषेक नगर सिंघडिया, पोस्ट एवं थाना कूडाघाट, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश हाल प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा 02. आरोपी दलाल श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी उम्र 29 साल जाति माली निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी थाना कुन्हाडी जिला कोटा के विरुद्ध अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 तथा 120 बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।




(विजय सिंह)

पुलिस उप अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1. श्री अतुल शुक्ला, प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान स्टेट गैस लि. कोटा एवं 2. श्री विष्णु सैनी पुत्र श्री बृजमोहन सैनी निवासी के-2, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी, कोटा के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 159/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:-1394-98 दिनांक 02.05.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।

  
उप महानिरीक्षक पुलिस,  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।